



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उOप्रO, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-ललितपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सOनिO-ललितपुर मण्डल कार्याO निर्माण/2025-26/1007/राज्य कर, दिनांक 06.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-ललितपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग से तैयार आगणन प्रस्ताव/डीOपीOआरO लागत रुO 771.95 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य की प्रशासीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-ललितपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रुO 743.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्रावधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किस्त के रूप में रुO 371.72 लाख (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक-272 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2023 दिनांक 10-10-2023 तथा पत्रांक-294 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2023 दिनांक 26-10-2023 के द्वारा डी०एस०आर० की दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश करते हुए कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप सं०-249 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2025, दिनांक 11-07-2025 में दिये गये निर्देशों के कम में डी०एस०आर० वर्ष 2023 की सिविल कार्यों की दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आगणन का गठन किया गया है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का परीक्षण किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमर्दे जिनकी दरें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर प्रभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेंट/स्टील/ग्रेट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं०-5/2021/फाइल नं०-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी का होगा।
9. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी/कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13. आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 15. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
 16. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 17. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
 18. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,71,72,000 (रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 4059010513200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-258/दस-2025-26, दिनांक 26.02.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, झाँसी/ललितपुर।
8. मुख्य अभियंता, निर्माण खंड (भवन विंग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झाँसी सर्किल, झाँसी।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।